भाग–III

भगरतोला– चमुवा– कपकोली मोटर मार्ग निर्माण – 08.00 किमी0

(प्रस्ताव संख्या 10668 / 2015)।

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहॉ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हॉ / नही) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भागः ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	इस कार्यालय के **पत्रांक 2218 / 12–1 दिनांक 31.03.2015** से सूचित आपत्तियों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित पत्रांक 2184 / 12–1 क्रमशः **दिनांक 27.04.2015** द्वारा प्रस्तुत आख्या एवं अभिलेखों के आलोक में सहमत। इस कार्यालय व प्रभागीय वनाधिकारी / याचक विभाग के उक्त पत्र, मय संलग्नकों के, संलग्न है **(संलग्नक– 1 से 8)।**
16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे मे सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने **वाले 0–10 व 10–20 व्यास** श्रेणी के सभी वृक्षों का प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वयं के व्यय से निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्रों में प्रत्यारोपण किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित वृक्षों की सुरक्षा हेतु आवश्यक समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

दिनांकः– 29.04.2015

स्थानः– अल्मोड़ा।

(संतोष विजय शर्मा)
वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

E-Mail : cfkumaon_north@rediffmail.com ☎ (05962) 231099 & Fax (05962) 230397

पत्रांक 2218/ 12–1 दिनांक, अल्मोड़ा, 31.03.2015.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

विषयः– आपके द्वारा जनपद– अल्मोड़ा अन्तर्गत भगरतोला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग का ऑन–लाइन प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या 10668/2015)।

महोदय

उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण का ऑन–लाइन प्रस्ताव में निम्न कमियां पायी गयी। कृपया कमियों का निराकरण कर तत्काल प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत करें ताकि इसे नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जा सकें।

1. आपके द्वारा प्रेषित ऑन–लाइन प्रस्ताव की हार्ड कॉपी का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाली पंचायती भूमि में सम्बन्धित पंचाय़त का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नही है। जिसे याचक विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

2. उक्त मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की वैधानिक स्थिति स्पष्ट नही है। अतः चयनित स्थल की वैधानिक स्थिति स्पष्ट करें।

भवदीय,
31/3

(संतोष विजय शर्मा)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com Phone/Fax :- (05962) 230229

पत्रांक 3184 /121 दिनांक 27/4/ 2015

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।।

विषय :– अल्मोड़ा अन्तर्गत भगरतोला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग ऑन लाईन प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या 10668 / 2015).

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक 2218 / 12–1 दिनांक 31–03–2015.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अनुरोध है कि उक्त विषयक प्रकरण में बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना का प्रतिउत्तर अधिशाषी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा द्वारा प्रेषित किया गया है जिसे आपके अवलोकनार्थ हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

वि.स. (1)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

दि० 7-4-2015

सेवामें
श्रीमान अधिशासी अभियन्ता महोदय
लो०नि०वि० निर्माण खण्ड अल्मोड़ा

महोदय,
निवेदन इस प्रकार है कि भगरतोला से कपकोली, मोटर मार्ग जो कि अल्मोड़ा जिला के विकास खण्ड धौलादेवी में जागेश्वर-धौली मोटर मार्ग के छठवें किमी० से भगरतोला से कपकोली मोटर मार्ग की स्वीकृति हुई है जिसमें वन पंचायत भगरतोला की लगभग 200 नाली भूमि जगह आती है। मोटर मार्ग बनने से वनपंचायत भगरतोला को कोई आपत्ति नही है। अतः इस आशय हेतु यह अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है।

भवदीय
रेवाधर पाण्डे
सरपंच
वन पंचायत भगरतोला
ग्रा०-भगरतोला, जिला-अल्मोड़ा
7-4-2015

सदस्य हस्ताक्षर
(1) कलावती देवी
2- गोविन्द राम
3- पुष्पा पाण्डे
4- हरीदत्त

कार्यालय तहसीलदार रानीखेत

संख्या– 843 /र.का.–क्षतिपूरक वृक्षारोपण/2014–15 दिनांक 28 फरवरी 2015

सेवा में,

उप जिलाधिकारी
रानीखेत ।

विषयः– विभिन्न मोटर मार्गों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमीन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा के पत्र संख्या 3283/छब्बीस–एफ.सी./2015 दिनांक 26 फरवरी 2015 के सन्दर्भ में अपने पृष्ठांकित आदेश दिनांक 27/02/2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । जिसमें भगरतौला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग हेतु 2.430 हैक्टेयर भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि चयनित किये जाने हेतु नियमानुसार संयुक्त निरीक्षण कर प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है। प्रश्नगत सन्दर्भ में क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक पाखुडा से जांच करायी गयी । क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक की जांच आख्या के अनुसार तहसील अन्तर्गत ग्राम कालनू पटवारी क्षेत्र पाखुडा में भगरतौला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग हेतु 2.430 हैक्टेयर भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दिनाँक 06/02/2015 को ग्राम कालनू क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक पाखुडा तहसील रानीखेत जिला अल्मोड़ा में संयुक्त निरीक्षण श्री दीवान राम, वन रजि0 अधिकारी वन विभाग एवं प्रस्तावक विभाग श्री बी.सी.जोशी सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा एवं श्री ज्ञानेन्द्र कुमार तिवारी कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा एवं श्री गोविन्द कनवाल अमीन निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा एवं श्री गणेश सिंह अधिकारी राजस्व उपनिरीक्षक पाखुड़ा की उपस्थिति में किया गया। भगरतौला–चमुवा–कपकोली मोटर मार्ग हेतु 2.430 हैक्टेयर भूमि मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्राम कालनू की गैर ज़मींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 19/226 श्रेणी 9 (3)ङ कृषि योग्य बंजर भूमि के पैमायसी खेत संख्या 7225 मध्ये रकबा 2.430 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होने से प्रस्तावित की गयी। चयनित भूमि को मौके नक्शे में लाल रोशनाई से प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त तहसील रानीखेत अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कोई भूमि उपलब्ध नहीं है।

अतः जांच आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु मय मौका नक्शा, [illegible] नकल मौका खसरा एवं संयुक्त निरीक्षण [illegible]

[illegible]

तहसीलदार, [illegible]
[illegible] अल्मोड़ा,

संयुक्त निरीक्षण

आज दि० 27/02/14 को तहसील सोमेश्वर के ग्राम कोसन्यू में निम्नलिखित सिंचाई कार्यों हेतु प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि का चयन/निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण में श्री शैलेन्द्र कुमार (वन दरोगा) श्री के० सी० जोशी सहायक अभियंता, श्री ज्ञानेन्द्र कुमार तिवारी कनिष्ठ अभियंता लो० नि० वि० अल्मोड़ा, श्री गोपाल सिंह अधिकारी रा० उ० नि० पातूड़ा एवं श्री बिष्ट ग्राम ग्रा० वि० अधिकारी की उपस्थिति में किया गया, ध्याड़ीला - बेयुला कनकोला मो० मा० हेतु 2.430 हे०, पिनाराकोट - गल्ली मंगरोला मो० मा० हेतु 2.812 हे०, लेजुली गोपली मो० मा० हेतु 4.230 हे०, सिमल्या मेल्ली - खड़कोट - बुलाकिया मो० मा० हेतु 3.082 हे०, मेयुली मो० मार्ग का लोहली तक विस्तार मोटर मार्ग हेतु 1.393 हे० प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित/चयनित की गयी,

27/02/14

27/02/14

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार महोदय रानीखेत

महोदय,

जिलाधिकारी महोदय के पत्र सं० 3783/दस्तीस-एफ० सी० /2015 दिनांक 26 फरवरी 2015 के सन्दर्भ में महोदय के आदेश दि० 27/2/2015 के क्रम में विभिन्न मोटर मार्गों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भगरतोला-चनुया-कफलोनी मोटर मार्ग हेतु [illegible] 2.43 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल का चयन किया गया उक्त मोटर मार्ग हेतु ग्राम कालाग के गैर ज० वि० खाता सं० 19/26 श्रेणी 6(3) ख के खेत नं० 7225 मध्ये 2.43 है० भूमि चयनित कर प्रस्तावित की जाती है। उक्त भूमि का मौका नक्शा-खसरा व खतौनी नकल तैयार कर सेवा में प्रस्तुत है।

27/2

मौका खसरा ग्राम - कालनू

प्रस्तावित :- भगरतोला - चमुवा - कपकोली मोटर मार्ग हेतु क्षति पूरक वृक्षारोपण हेतु

खसरा नं०	रकबा	खाता नं०	श्रेणी	प्रस्तावित खेत संख्या	प्रस्तावित रकबा	विवरण
7225	7.000	19/226 गैर ज०वि०	श्रेणी (3) 5	7225 मध्ये	2.43	
				1	2.43 हे०	

પટાવારીદીઠા-પાદુકા

ખાતેદારોની ફેરફાર ગામ-કાળવૂ ગામ પાદુકા

ખાતા નંબર	ખાતેદારનું નામ	...	સર્વે નં.	ક્ષેત્રફળ	આકાર	શેરો
	ગામ ... (૨) ... ખેડૂત ...					
૧૪ / ૨૨૬	...		૨.	૦.૩૮૮	...	
			૪.	૦.૪૨૯.		
		1374 ઉ.	૭૨૨૫.	૮.૦૦૦		
			૭૨૨૬.	૧૦.૦૦૦		
			૭૨૨૭	૦.૬૧૩		
			૭૨૨૯	૬.૦૪૯		
			૭૨૩૦	૧.૮૬૪		
			૭૨૩૨	૫.૮૪૫		
			૭૨૩૬	૧૦.૭૪૫		
			૭૨૩૭	૮.૩૨૬		
			૭૨૩૮	૧૦.૦૨૯		
			૭૨૪૦	૦.૦૩૧.		
			૭૨૪૧	૧.૦૫૫		
			૭૨૫૦.	૪.૫૩૫		
		સરવાળો.	૪૯૨.	૧૧૫.૧૯૬.		પ્રમાણે

ઉતારો તૈયાર કર્યો,

[signature]